उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-2
संख्या-32/2020/एस-182/38-2-2020-2(31)एस(ए)/2010 टीसी
लखनऊ: दिनांक: 02 सितम्बर, 2020

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008 दिनांक 05 नवम्बर, 2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ के समूह-'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन स्तर पर निम्नलिखित स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाता है :-

(1) श्री अच्छे लाल सिंह, विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग - अध्यक्ष

(2) श्री विजय बहादुर वर्मा, संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग - सदस्य

(3) श्री डी0सी0 उपाध्याय, अपर निदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बक्शी का तालाब, लखनऊ। - सदस्य

2- उक्त स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अपनी संस्तुतियॉ बैठक की तिथि से 15 दिन की अवधि में संबंधित पदों के नियुक्ति प्राधिकारी/वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारीको प्रस्तुत की जायेंगी।

के0 रविद्र नायक
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-32/2020/एस-182(1)/38-2-2020 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ।
(2) स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष/सदस्य, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र मिश्र
उपसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in